



2026:AHC:8343

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या- 41457 / 2025

श्रीमती सुषमा

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष

आवेदक के अधिवक्ता

: निशा चौहान, शैलेन्द्र सिंह राठौर

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव,

आज प्रस्तुत पूरक शपथपत्र अभिलेख पर लिया जाता है।

आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री शैलेन्द्र सिंह राठौर तथा राज्य-प्रतिवादियों की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री याज्ञवल्क पांडे को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।

यह जमानत आवेदन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अंतर्गत अभियुक्त-आवेदक श्रीमती सुषमा की ओर से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें प्रार्थना की गई है कि मुकदमा अपराध संख्या 470 वर्ष 2022, धारा 420, 406, 467, 468, 471, 34 भारतीय दंड संहिता तथा धारा 3/4/5/6 प्रतिबंध अधिनियम, थाना गढ़मुक्तेश्वर, जनपद हापुड़ में विचारण लंबित रहने के दौरान उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए।

आवेदक के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियुक्त-आवेदक निर्दोष हैं। उन्हें इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है तथा वे दिनांक 12.09.2022 से जेल में निरुद्ध हैं। आवेदक के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं था, बल्कि उनका नाम विवेचना के दौरान प्रकाश में आया है। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि वास्तविक तथ्य यह है कि आवेदक का कथित अपराध से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि उन्होंने कथित कंपनी के किसी भी व्यापारिक लेन-देन या गतिविधि में भाग नहीं लिया। विस्तृत बहस के उपरांत आवेदक के अधिवक्ता ने यह भी कहा कि आवेदक एक महिला हैं और पिछले तीन वर्षों से अधिक समय से जेल में निरुद्ध हैं। उनके विरुद्ध 44 मामलों का आपराधिक इतिहास है, जिसका समुचित स्पष्टीकरण दिया गया है तथा जमानत पर रिहा होने की स्थिति में उनके

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



न्याय से भागने या साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। अतः जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना की गई।

विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने यह कहते हुए जमानत प्रार्थना का कड़ा विरोध किया कि आवेदक एक ऐसे गिरोह की सक्रिय सदस्य हैं, जो लगातार भोले-भाले लोगों से धन की ठगी करने में संलिप्त है, किन्तु उपर्युक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में दंड की गंभीरता, उपलब्ध साक्ष्यों की प्रकृति, साक्षियों को प्रभावित किए जाने की आशंका, कारावास की अवधि तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437(1) के प्रथम उपबंध/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 480(1) के प्रथम उपबंध के प्रावधान एवं प्रथम दृष्टया मामले को दृष्टिगत रखते हुए, प्रकरण के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, जमानत का मामला बनता है।

अतः जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

अभियुक्त-आवेदक श्रीमती सुषमा को उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या में, व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो विश्वसनीय जमानतदार प्रस्तुत करने पर, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए—

1. आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगी।
2. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होंगी।
3. आवेदक अभियोजन साक्षियों को दबाव में नहीं लेंगी/धमकाएँगी तथा विचारण में सहयोग करेंगी।
4. आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगी, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा उनके व्यक्तिगत उपस्थित होने से अधिवक्ता के माध्यम से छूट न दी जाए।

उपर्युक्त शर्तों के किसी भी उल्लंघन की स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को उनकी जमानत निरस्त करने की स्वतंत्रता होगी।

(आशुतोष श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति)

दिनांक : 13 जनवरी, 2026

दीपक/

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।